अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, राँची

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 32 आर० 15/2021–22

18
23.12.2022

1. लाल यशवन्त नाथ शाहदेव
2. लाल हेमन्त नाथ शाहदेव,
दोनों पिता स्व० लाल चन्द्र चूड़ामनी नाथ शाहदेव,
निवासी– पालकोट हाउस, लेक रोड, पूरानी राँची, थाना–कोतवाली,
जिला–राँची ..... प्रार्थी

बनाम्

राज्य ..... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा दाखिल खारीज अपील वाद सं० 82 आर० 15/2012–13 में दिनांक 05.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची ने प्रार्थी द्वारा दायर उपरोक्त अपील को अस्वीकृत करते हुए अँचल अधिकारी नगडी, राँची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–1795 आर० 27/2011–12 में पारित दिनांक 27.01.2012 को बहाल रखा ।

प्रार्थी, यशवन्त नाथ शाहदेव एवं लाल हेमन्त नाथ शाहदेव ने अंचल अधिकारी नगडी, राँची के समक्ष मौजा–पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं0–383, प्लॉट सं०–2143, 2144, 2145 एवं 2148, क्रमशः रकबा 0.14 ए० 5.86 ए० 0.82 ए० एवं 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड़ भूमि के नामान्तरण हेतु दायर आवेदन पर दाखिल खारिज वाद सं0–1795 आर० 27/2011–12 संधारित किया गया, जिसे विद्वान अँचलाधिकारी, नगडी ने आदेश दिनांक 27.01.2012 द्वारा अस्वीकृत कर दिया था।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं0 228, जिला

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग, कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

रॉची स्थित खाता सं0 383, प्लॉट सं0 2143 रकबा 0.14 ए०, प्लॉट सं० 2144 रकबा 5.86 ए०, प्लॉट सं० 2145 रकबा 0.82 ए०, प्लॉट सं० 2148 रकबा 3.68 ए० भूमि आर0 एस0 खतियान मे खेवट सं0 2 के अन्तर्गत तत्कालीन जमींदार बडा लाल कन्दर्प नाथ शाहदेव के नाम से गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। उपरोक्त जमींदार बडा लाल कन्दर्प नाथ शाहदेव ने मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं0 228, जिला रॉची स्थित खाता सं0 383, प्लॉट सं0 2143 रकबा 0.14 ए०, प्लॉट सं० 2144 रकबा 5.86 ए०, प्लॉट सं० 2145 रकबा 0.82 ए०, प्लॉट सं० 2148 रकबा 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड भूमि की स्थाई छप्परबंदी बंदोबस्ती निबंधित पट्टा सं० 28.02.1948 द्वारा लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे कर दिया तथा उन्हे उक्त भूमि पर दखलकार भी कर दिया।

तत्कालीन खेवटदार बडालाल कन्दर्प नाथ शाहदेव ने देवी चिन्तामणि ट्रस्ट नामक न्यास का गठन ट्रस्टडीड सं0 5577 दिनांक 20.08.1948 द्वारा किया, जिसके अन्तर्गत मौजा पुन्दाग की सम्पूर्ण जमींदारी अधिकार एवं शक्तियॉ उनसे विलग होकर देवी चिन्तामणि ट्रस्टमे निहित हो गया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उक्त देवी चिन्तामणि ट्रस्ट ने कंपनसेशन वाद सं० 6 आर० 8/1955–56 द्वारा जमींदारी रिर्टन दाखिल किया, जिसके आधार पर उपरोक्त भूमि की जमाबंदी लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के नाम से कायम हुई।

देवी चिन्तामणि ट्रस्टद्वारा दाखिल उपरोक्त जमींदारी रिर्टन मे प्रश्नगत भूमि लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे बंदोबस्त दर्शाया गया है। उनके द्वारा दाखिल उक्त रिर्टन का सत्यापन समय – समय पर विभिन्न राजस्व पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, रॉची ने पत्रांक 3397 दिनांक 17.12.2008 द्वारा उक्त रिर्टन मे लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे प्रश्नगत भूमि की विवरणी मौजुद होने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष W.P.(C) No.- 4513/2016 राज्य सरकार की ओर से दायर प्रतिशपथ पत्र एवं अँचलाधिकारी रातु के निदेश पर

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अभिलेखागार से प्राप्त रिर्टन की सच्ची प्रतिलिपि ने भी उक्त रिर्टन मे लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे प्रश्नगत भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित विवरणी की सम्पुष्टि की गई है।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् चिन्तामणि ट्रस्ट नामक न्यास का गठन एवं उसमें सम्पत्ति का हस्तांतरण दिनांक 01.01.1946 के बाद हुआ था, इसलिए सरकार द्वारा इसके निर्माण एवं सम्पत्ति के हस्तांतरण की वैधता की जाँच के लिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत वाद सं०– 01/1955–56 के द्वारा कार्यवाही शुरु की गई थी। वृहद जाँचोपरान्त तत्कालीन अपर समाहर्ता चिन्तामणि ट्रस्ट के निर्माण और उसमें निहित सम्पत्ति के हस्तांतरण को वैध पाया और बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(एच०) के तहत उक्त वाद सं०– 1/1955–56 की कार्रवाई आदेश दिनांक 03.08.1959 के तहत समाप्त कर दी गयी है। तत्पश्चात् सरकार ने उक्त चिन्तामणि ट्रस्ट को बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 21(2) के तहत मान्यता प्रदान की और ट्रस्ट द्वारा दाखिल रिटर्न और उसकी छप्परबंदी बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त आय को वैध माना गया तथा उनके द्वारा दाखिल रिर्टन के आधार पर उन्हे सरकार द्वारा वार्षिकी (Annuity) प्रदान की गई एवं अपर समाहर्त्ता, राँची ने आदेश दिनांक 07.12.1964 द्वारा अँचलाधिकारी रातु को ट्रस्ट द्वारा दाखिल रिर्टन के आधार पर लाल महेश्वर नाथ शाहदेव एवं अन्य बंदोबस्तधारियो के नाम से जमाबंदी कायम कर छप्परबंदी लगान वसूल करने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, राँची के उपरोक्त निदेशानुसार अँचल अधिकारी रातु ने सभी बंदोबस्तधारी के नाम से जमाबंदी कायम करने के उपरान्त अपर समाहर्त्ता, राँची को उनके आदेश के अनुपालन किये जाने संबंधी जानकारी दिनांक 10.02.1965 को प्रदान किया गया। इस क्रम मे प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी विधिवत लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के नाम से कायम की गई।

लाल महेश्वर नाथ शाहदेव की मृत्यु निःसंतान हुई, वे अपनी विधवा द्रौपदी देवी को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। उपरोक्त

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

प्रश्नगत भूमि उन्हें विरासत में मिली तथा उन्होने अपने जीवनकाल मे अपनी सम्पत्ति का निबंधित पट्टे द्वारा वसीयत प्रार्थी लाल यशवन्त नाथ शाहदेव एवं लाल हेमन्त नाथ शाहदेव के पक्ष मे कर दिया। द्रौपदी देवी के मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी उनके द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत का प्रोवेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रशन वाद सं० 62/2007 मे विद्वान न्यायायुक्त XVII राँची के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2008 द्वारा प्राप्त किया तथा प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुए।

प्रार्थी ने अंचल अधिकारी रातु, राँची के समक्ष मौजा–पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं० 1 प्लॉट सं० 2141 रकबा 1.46 एकड़, खाता सं० 58, प्लॉट सं० 2146 रकबा 2.49 एकड़ एवं खाता सं0–383, प्लॉट सं०–2143, 2144, 2145 एवं 2148, क्रमशः रकबा 0.14 ए० 5.86 ए० 0.82 ए० एवं 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड़ भूमि के नामान्तरण हेतु खारिज वाद सं0–803 आर० 27/2008–09 दायर किया, जिसमे विद्वान अँचलाधिकारी रातु ने आदेश दिनांक 04.09.2008 द्वारा मौजा पुन्दाग के खाता सं० 1 एवं 58 की भूमि का नामान्तरण प्रार्थी मे पक्ष मे स्वीकार किया गया तथा खाता सं० 383 के अन्तर्गत अन्य भूमि से संबंधित नामान्तरण आवेदन को स्थगित रखा गया। उन्होने भी उक्त आदेश मे कहा है कि न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गुमला से प्राप्त क्षतिपूर्ति वाद सं० 6 आर० 8/1955–56 का सच्ची प्रतिलिपि मे आवेदित सभी खाता एवं प्लॉटो की भूमि रिटर्न मे दर्ज है। उन्होने उक्त आदेश मे यह भी कहा है कि आवेदित भूमि पर आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। आवेदित जमीन मे खाता सं० 383 भी शामिल है जो गैरमजरूआ भूमि है, जिसका नामान्तरण उपायुक्त महोदय की अनुमति प्राप्त कर करना उचित प्रतीत होता है।

अँचलाधिकारी रातु द्वारा उक्त दा०खा० वाद सं० 803 आर० 27/2008–09 मे पारित आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका W.P.(C) No.- 2166/2011 दायर किया। उक्त रिट याचिका मे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.10.2011 द्वारा अँचलाधिकारी रातु को प्रार्थी द्वारा दायर

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

आवेदन पर विधि के अनुसार विचार करने का निदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायायल द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन मे अँचलाधिकारी नगड़ी अँचल द्वारा दा०खा० वाद सं० 1795 आर० 27/2011–12 संधारित किया गया, जिसमे विद्वान अँचलाधिकारी नगड़ी ने यह तो स्वीकार किया कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के नाम से कायम है तथा वर्त्तमान मे प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का दखल कब्जा भी है, परन्तु उपरोक्त तथ्य के बावजुद उन्होने आदेश दिनांक 10.02.2012 द्वारा उक्त नामान्तरण वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थी के पूर्वज लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के नाम से कायम जमाबंदी संदेहास्पद है।

अँचलाधिकारी नगड़ी अँचल द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची के समक्ष दाखिल खारिज अपील वाद सं० 82 आर० 15/2012–13 दायर किया जिसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने आदेश दिनांक 05.08.2014 द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती 01.01.1946 के उपरान्त की गई है तथा उससे संबंधित बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (एच०) तहत कार्रवाई लंबित है।

इस संबंध में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका, W.P.(C) No.-2783/2017, W.P.(C) No.- 644/2016 एवं W.P.(C) No.-3581/2017 में पारित आदेश की उपेक्षा की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने मौजा पुन्दाग मौजा के खाता सं०–383 के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करते हुए अपने आदेश दिनांक 03.07.18 में कहा है कि "जब एक बार बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत कार्यवाही शुरू की गई और व्यापक जाँचोपरान्त दिनांक 03.08.1959 के आदेश से कार्यवाही संचिकास्त कर दी गई और सरकार द्वारा दिनांक 03.08.1959 के उक्त आदेश को कभी किसी ऊपर के न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई तो दिनांक 03.08.1959 का आदेश अब निर्णायक हो चुका है और दोबारा बिहार भूमि सुधार अधिनिमय,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1950 की धारा 4(एच०) के अन्तर्गत जमाबंदी विलोपित करने की प्रक्रिया शुरू करना न्यायिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान सरकारी अधिवक्ता, राँची द्वारा पत्रांक 88 दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से विधिक मन्तव्य का प्रेषण किया है। उनके अनुसार मौजा–पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं0–383, प्लॉट सं०–2143, 2144, 2145 एवं 2148, क्रमशः रकबा 0.14 ए० 5.86 ए० 0.82 ए० एवं 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे गैर मजरूआ मालिक दर्ज है। तत्कालीन जमींदार को उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बंदोबस्त करने पर कोई रोक नही था । चूंकि वाद सं० 1/1955–56 में तत्कालीन अपर समाहर्ता, रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1959 के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी और उक्त आदेश को राज्य द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (एच०) के तहत पुनः से कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं होगा। प्रश्नगत भूमि से संबंधित W.P.(C) No.-2783/2017, W.P.(C) No.-644/2016 एवं W.P.(C) No.- 3581/2017 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने यह विशेष तौर पर कहा है जब एक बार प्रश्नगत भूमि से संबंधित बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी एवं दिनांक 03.08.1959 को पारित आदेश द्वारा उक्त कार्यवाही को संविकास्त कर दिया गया एवं भूमि का लगान निर्धारित कर जमाबंदी भी कायम की गई तथा उक्त आदेश को किसी भी न्यायायल मे चुनौती नही दी गई थी, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 03.08.1959 अंतिमता को प्राप्त हुआ, अतः भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर, कायम जमाबंदी को रद्द करना कानूनन मान्य नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	7	

समग्र अवलोकन से विदित होता है कि मौजा–पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं0–383, प्लॉट सं०–2143, 2144, 2145 एवं 2148, क्रमशः रकबा 0.14 ए० 5.86 ए० 0.82 ए० एवं 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान मे गैर मजरूआ मालिक दर्ज है, जिस तत्कालीन जमींदार ने निबंधित पट्टा दिनांक 26.02.1948 द्वारा प्रार्थी के पूर्वज लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे बंदोबस्त किया गया है। प्रार्थी को उपरोक्त भूमि बंदोबस्तधारी लाल महेश्वर नाथ शाहदेव की विधवा द्रौपदी देवी द्वारा निष्पादित वसीयत द्वारा प्राप्त है, जिसका प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाद सं० 62/2007 मे विद्वान न्यायायुक्त XVII रॉची के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2008 द्वारा हुआ है। अँचलाधिकारी द्वारा पारित विभिन्न आदेशो से विदित होगा कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी को शान्तिपूर्वक दखल प्राप्त है। देवी चिन्तामणि ट्रस्टद्वारा दाखिल उपरोक्त जमींदारी रिर्टन मे प्रश्नगत भूमि लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के पक्ष मे बंदोबस्त दर्शाया गया है। उक्त रिर्टन का सत्यापन समय–समय पर विभिन्न राजस्व पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी प्रार्थी के पूर्वज लाल महेश्वर नाथ शाहदेव के नाम से कायम है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रेषित मन्तव्य से यह स्पष्ट है कि, वाद सं० 1/1955–56 में तत्कालीन अपर समाहर्ता, रांची द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1959 के तहत विचाराधीन भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(एच०) के तहत कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी और उक्त आदेश को राज्य द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 (एच०) के तहत पुनः से कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 82 आर० 15/2012–13 मे दिनांक 05.08.2014 को पारित आदेश एवं अँचल अधिकारी नगडी, राँची के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–1795 आर० 27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2012 को निरस्त किया जाता है। अँचलाधिकारी नगड़ी को यह

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

8

निदेश दिया जाता है कि वे मौजा–पुन्दाग, थाना सं०–228, खाता सं०–383, प्लॉट सं०–2143, 2144, 2145 एवं 2148, क्रमशः रकबा 0.14 ए० 5.86 ए० 0.82 ए० एवं 3.68 ए० कुल रकबा 10.50 एकड़ भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष मे स्वीकार करें।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, राँची एवं अँचलाधिकारी नगड़ी अँचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul
उपायुक्त
राँची

लेखपित एवं संशोधित

Rahul
उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.27 15:22:58 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d